



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241424
CG-DL-E-27122022-241424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5810]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944

No. 5810]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSHA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6053(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में (1) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#50 (2) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#207 (3) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#128 तक पाइपलाइन ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को उस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव है, और जो इस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के असाधारण राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी

जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाने के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, ओ.एन.जी.सी परिसर, अंकलेश्वर-393010 (गुजरात) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विदिनिष्ठत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा।

अनुसूची

(1) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#50

(2) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#207

(3) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#128

तालुका : अंकलेश्वर

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	हजात	195		00	06	95
		202		01	03	71
		203		00	09	67

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/94/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी(इ-45246)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6053(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that (1) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#50 (2) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#207 (3) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#128 in Gujarat State, should be laid by the Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto:—

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

PROVIDED THAT ANY person interested in the land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd. ONGC CAMPUS, ANKLESHWAR ASSET, ANKLESHWAR-390010 (Gujarat).

AND every person making such objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

(1) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#50

(2) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#207

(3) 4"Ø EFFLUENT LINE FROM MPH TO WELL#128

TA :- ANKLESHWAR

DIST.:-BHARUCH

STATE :- GUJARAT

Sr. No.	Name of Village	Survey No./ Block No.	Part if any	ROU Area		
				Hect.	Are	Sq.mt.
1	2	3	4	5	6	7
1	HAJAT	195		00	06	95
		202		01	03	71
		203		00	09	67

[F. No. Expl-11032(11)/94/2022-EXPL-I-PNG (E- 45246)]

R. K. KUREEL, Director